

फद अहकाम

रामकरण

बनाम राम व शै

नाम न्यायालय

केस संख्या 70/2019

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	25/3/22	<p>सा. अपीलर दौर / अहकाम प. अ. अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 14/3/22 को पेश हो.</p>
	14/3/22	<p>सा. अपीलर दौर / अहकाम प. अ. अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 9/5/22 को पेश हो.</p>
	9/5/22	
	9/6/22	<p>पत्रावली पेश हुई साथ ही नए ब्यार-ब्यार जायाग डिगरे गये। वाडी असागत व वकालत अहकाम से जता वाडी का वाह अडग हाफरी अडग पीवरी के अवालीग रफिया जाला है। पत्रावली अवालीग अडग हाफरी अडग पीवरी से का अवालीग हाफरी अडग हाफरी है।</p>



मुल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमूं
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गावों के संघ अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- राहुल जैन

उनवान

1. रामकरण पुत्र नाथूलाल जाट, जाति जाट, निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

--वादी

बनाम

1. रामू पुत्र धन्ना
2. राजेन्द्र पुत्र नाथूलाल
3. बाबूलाल पुत्र नाथूलाल
4. फूला देवी पत्नी नाथूलाल
5. कानाराम पुत्र नाथूलाल
6. समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
8. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
8. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (हाल भारतीय स्टेट बैंक) जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

--प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :- 70/2019

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिन जामिन मुददई रूबरू राहुल जैन आईएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व प्रा0 डिक्री दी जाती है कि विवादित भूमि खाता संख्या 476 खसरा नम्बर 2022 रकबा 0.24 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 2028 रकबा 0.14 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 2029 रकबा 0.16 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 2030 रकबा 0.34 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 2031 रकबा 0.01 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 2032/2545 रकबा 0.06 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 2035 रकबा 0.29 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 2036 रकबा 0.25 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 2088 रकबा 0.01 हेक्टेयर, कुल किता 09 का कुल रकबा 1.50 हेक्टेयर वाके ग्राम जैतपुरा, पटवार हल्का जैतपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चौमूं तहसील चौमूं, जिला जयपुर में वादी एवं प्रतिवादीगण के दर्ज हिस्से अनुसार कब्जेकाशत को प्राथमिकता देते हुए, मकानात/रहवास, खामघर इत्यादि को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस एवं सभी खातेदारों को रास्ते की सुविधा उपलब्ध करवाते हुए तकासमा किया जाकर कुरेजात रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिये जाते हैं। प्रा. डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 29.11.2021 को जारी किया

गया ।

मोहर

दस्तखत
ओहदा.....

मुदई	रुपये	पैसे	मुदाईला	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा	2		स्टाम्प वकालतनामा	3	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीसकमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	4		मीजान	3	

नोट:-इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दोफरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो य नहीं दर्ज करना चाहिए।


२९/११